प्रेस नोट - थाना कलान
जनपद शाहजहाँपुर
दिनांक - 24.11.2026

थाना कलान पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्या की साजिश में शामिल वादिनी मुकदमा सहित 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी परशुरामपुरी के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कलान के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा वांछित, वारंटी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश एवं गिरफ्तारी के क्रम में थाना कलान पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.11.26 को राकेश पुत्र गोधनलाल नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा सूचना दी गयी कि सतीश पुत्र अनोखेलाल नि0ग्रा0 ललौर थाना शमशाबाद जनपद फर्रूखाबाद के खेत मे बने सूखे कुएँ मे एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिला है। उक्त शव की शिनाख्त मौके पर मौजूद पूजा पत्नी विनोद कुमार नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर व उसके परिजनों द्वारा उक्त शव के पास मिले आधार कार्ड तथा अन्य सामान से विनोद कुमार पुत्र राजाराम उपरोक्त का होना बताया गया तथा पूजा पत्नी विनोद कुमार उपरोक्त द्वारा उसके पति विनोद कुमार की हत्या उसके ही गाँव के रहने वाले 1. राजेश पुत्र गिरीशचन्द्र 2. योगेश पुत्र गिरीशचन्द्र 3. मुकेश पुत्र गिरीशचन्द्र 4. शिवम पुत्र राजेश 5. गौतम पुत्र राजेश 6. नीरज पुत्र नामालूम 7. दिव्यांश पुत्र आदित्य 8. इन्द्रपाल पुत्र नामालूम 9. जयचन्द पुत्र मंगली निवासीगण ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा करके सिर गायब कर देने तथा धड को कुँए में डाल देने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 - 395/26 धारा 3(5)/103(1)/238(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। विवेचना के क्रम में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित किये गये। संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश मे आया कि विनोद उर्फ बाबा पुत्र राजाराम नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुकदमो से अपने आप को बचाने तथा राजेश आदि उपरोक्त व्यक्तियो को फसाने के उद्देश्य से अपने परिजनों 1. पूजा पत्नी विनोद उर्फ बाबा 2. सुमिरता पत्नी राजाराम 3. नंदकिशोर पुत्र राजाराम 4. कुंवरपाल पुत्र राजाराम 5. आलोक पुत्र विनोद उर्फ बाबा 6. आदित्य पुत्र विनोद उर्फ बाबा 7. मनोज पुत्र कुँवरपाल निवासीगण उपरोक्त से सलाह-मशवरा करके अपने साथ रह रहे राजपाल नि0ग्रा0 ऐठापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर जो कि अंधा था। विनोद तन्त्र मन्त्र का काम भी करता है उसी तन्त्र मन्त्र के जाल में उसने राजपाल को फंसा लिया तथा उसकी हत्या अपने दो अन्य साथियों 1. विकास पुत्र जीवाराम नि0ग्रा0 कटरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ 2. ओमपाल पुत्र रामस्वरूप नि0ग्रा0 मुडिया खेडा थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ के साथ मिलकर राजपाल का गला काटकर उसका सिर विहीन शव ग्राम सिउडी के पास स्थित एक सूखे कुँए मे फेंक दिया तथा उसके सिर को अटैना घाट गंगा मे फेंक दिया। मुकदमा उपरोक्त में नामित व्यक्तियों की नामजदगी गलत करते हुए घटना में प्रकाश में आये 1. विनोद उर्फ बाबा 2. विकास 3. ओमपाल 4. पूजा 5. सुमिरता 6. नंदकिशोर 7. कुंवरपाल 8. आलोक 9. आदित्य 10. मनोज उपरोक्त अभियुक्तों के नामों की वृद्धि की गयी। तथा अभियोग में धारा 61(2)/216 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण 1. विनोद 2. विकास 3. ओमपाल को गिरफ्तार कर आज दिनांक 24.11.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अभियोग की विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. पूजा 2. सुमिरता 3. कुंवरपाल 4. आदित्य 5. मनोज उपरोक्त को आज दिनांक 24.11.2026 को समय 12.40 बजे उनके घर ग्राम सिउडी से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन बरामद हुये। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. पूजा पत्नी विनोद उर्फ बाबा उम्र 42 वर्ष नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
2. सुमिरता पत्नी राजाराम उम्र 65 वर्ष नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
3. कुंवरपाल पुत्र राजाराम उम्र 48 वर्ष नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
4. आदित्य पुत्र विनोद उर्फ बाबा उम्र 19 वर्ष नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

5. मनोज पुत्र कुँवरपाल उम्र 33 वर्ष नि0ग्रा0 सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

- मु0अ0सं0 - 395/2026 धारा 103(1)/238(a)/61(2)/216 BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समयः-

- अभियुक्तगण का घर ग्राम सिउडी थाना कलान, दिनांक 24.11.2026 समय 12.40 बजे।

बरामदगी का विवरणः-

- 03 अदद मोबाइल।

अपराधिक इतिहास अभियुक्ता पूजा –

1. मु0अ0सं0 - 30/2025 धारा 115(2)/118(1)/351(3)/352 भादवि थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 - 395/2026 धारा 103(1)/238(a)/61(2)/216 BNS थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

1. प्रभारी निरीक्षक शिवदीन वर्मा थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 दिलशाद खाँ थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 पुनीत शर्मा थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
4. उ0नि0 जागेन्द्र प्रताप सिंह थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 गौरव तोमर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 जितेन्द्र कुमार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
7. का0 रोहित कुमार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
8. म0का0 भावना शुक्ला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
9. म0का0 सविता थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।